हिंदी के विविध रूपों के अर्थ

हिंदी के विविध रूप हैं। उन सभी रूपों को क्रमशः समझा जाना अत्यावश्यक है। इस कड़ी में सर्वप्रथम बात करते हैं – राष्ट्रभाषा की। किसी भी भाषा को पूर्ण विकसित होने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, इस यात्रा के दौरान भाषा निरंतर विकसित होती रहती है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि कारणों से भाषा लगातार विकसित होती रहती है। भाषा के विकास के साथ भाषा को स्थायित्व प्राप्त होता है। धीरे – धीरे भाषा विकसित होती जाती है और समय के साथ उसका मानकीकरण होता है। वह भाषा मानक होकर इतनी विकसित हो जाती है कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सामाजिक – सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने लगती है। सम्पूर्ण देशवासियों का उस भाषा के प्रति भावात्मक प्रेम हो जाता है। ऐसी भाषा अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के समान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाती है, तब उस भाषा को राष्ट्र भाषा कहा जाता है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने राष्ट्रभाषा के संबंध में कहा है –

“जब कोई भाषा आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है।”

जिन देशों में किसी एक ही भाषा का प्रयोग होता है वहाँ उस भाषा को आसानी से राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हो जाता है। बहुभाषी देशों में राष्ट्रभाषा का स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है। भारत की बात करें तो हिंदी क्षेत्र तथा अहिंदी क्षेत्र सभी स्थानों पर हिंदी का प्रयोग बहुतायत से होता है। सम्पूर्ण देश में हिंदी को पर्याप्त और अपेक्षित महत्व मिल रहा है। भारत में हिंदी अत्यधिक प्रतिष्ठित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था –

“हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में एक दिन भी खोना देश को भारी सांस्कृतिक नुकसान पहुँचाना है।....जिस तरह हमारी आज़ादी को जबरदस्ती छीननेवाले अंग्रेजों की सियासी हुकूमत को हमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को दबानेवाली अंग्रेजी भाषा को भी यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए।“

देश में हिंदी की स्थिति को सुदृढ करने हेतु अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को तो हमसब देख ही रहे हैं तथापि हिंदी की स्थिति भी निराशाजनक नहीं है। हिंदी जन – जन की भाषा है, पूरे राष्ट्र की आत्मा इसमें बसती है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के समान ही यह भी भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन चुकी है।

हिंदी का एक रूप राजभाषा है। अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंगुएज (official Language) के प्रतिशब्द के रूप में किया जाता है। पहले स्टेट लैंगुएज (state Language) शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में संविधान में (official Language) शब्द रखा गया। ऑफिशियल लैंगुएज से तात्पर्य राजकाज की भाषा से है। राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः देश के प्रशासन की भाषा होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका में होती है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगले पंद्रह वर्षो तक अंग्रेजी को सहराजभाषा के रूप में रखने की बात की गई ताकि इस अंतराल में सभी कर्मी और अधिकारी हिंदी में दक्ष हो जाएं, परंतु अंग्रेजी आज भी भारत की सहराजभाषा बनी है।

हिंदी का अगला रूप है – संपर्क भाषा। इसे अंग्रेजी में लिंग्वा फ्रेंका (Lingua Franca) कहा जाता है। लिंग्वा फ्रेन्का से तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें दो भिन्न भाषा – भाषी संपर्क स्थापित करते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व है।

इस प्रकार हिंदी के विविध रूप भारतीय जीवन में कार्यालयी एवं दैनिक उपयोग हेतु प्रयोग किये जाते हैं।